न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 27/2018 दायर तारीख :– 23-05-2018

1. श्रवण सिंह पुत्र सेडूसिंह जाति राजपूत निवासी मैड़ तहसील विराटनगर(राज0)

<u>–– प्रार्थी</u>

बनाम

1. सन्तोष देवी पत्नि राधेश्याम शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी सताना तहसील विराटनगर जिला जयपुर।
2. गुलाब कंवर पत्नि श्री उदय सिंह
3. किशन सिंह
4. शैतान सिंह
5. नरपत सिंह

(3 से 5) पुत्रान उदय सिंह

6. विनोद कंवर
7. किरण कंवर

(6 व 7) पुत्रियान उदय सिंह

(2 से 7) समस्त जाति राजपूत निवासी मैड़ तहसील विराटनगर जिला जयपुर

8. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार विराटनगर, जिला जयपुर।

<u>–– अप्रार्थीगण</u>

<u>प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी भूमि सीमांकन</u>

उपस्थित : श्री घनश्याम गुर्जर, अधिवक्ता प्राथी
एकपक्षीय कार्यवाही अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7
पैरोकार सरकार

निर्णय

<u>*निर्णय दिनांक : 10.09.2020*</u>

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम मैड़ के खसरा नम्बर 1844/4 रकबा 0.6490 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.6490 हैक्टेयर तथा खसरा नंबर 1845 रकबा 0.02, 1846 रकबा 0.05 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.07 हैक्टेयर में हिस्सा 2/5 एवं खसरा नंबर 1844/1 रकबा 0.0376 हैक्टेयर किता 1 कुल रकबा 0.0376 हैक्टेयर में हिस्सा 2/5 प्रार्थी के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2070–2073 है। यह है कि अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1844/2 रकबा 0.1222 हैक्टेयर तथा खसरा नंबर 1844 रकबा 0.7122, 1844/3 रकबा 0.1390 हैक्टेयर वाके ग्राम मैड में स्थित है। यह है कि आराजी मुतनाजा पूर्व में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 कि शामलाती भूमि रही है। जिनके खसरा नंबर 1844 रकबा 1.66, 1845 रकबा 0.02, 1846 रकबा 0.05 वाके ग्राम मैड

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

में दर्ज थी। जिसका न्यायालय श्रीमान के दिनांक 25.05.2016 उनवान दावा श्रवण सिंह बनाम उदय सिंह वगै दावा बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय अनुसार बटा नंबर बनाया जाकर कानूनी बंटवारा किया गया था। यह है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण मुताबिक बंटवारा डिक्री आदेश से अपने–अपने हिस्से में आये खसरा नंबर पर काबिज रहे है, किन्तु मौके पर भूमि का आपस में सीमाकंन पत्थरगढ़ी नहीं कि गई, जिससे अप्रार्थीगण मौके पर रिकॉर्ड से अधिक भूमि को जबरन काश्त करते आ रहे है, जबकि प्रार्थी के पास रिकॉर्ड के अनुसार भूमि का रकबा कम है। यह है कि न्यायालय श्रीमान द्वारा कानूनी बंटवारा कर देने के पश्चात भौतिक रूप से भी सभी बटा नंबर का सीमांकन कर पत्थरगढ़ी करवाकर स्थायी सीमा चिन्ह स्थापित करवाना आवश्यक हो गया है, ताकि मौके पर पक्षकारों में भूमि की नाप के संबंध में सीमा विवाद उत्पन्न ना हों। प्रार्थी अब अपनी भूमि को सुरक्षित करवाने की गरज से पत्थरगढी करवाना चाहते है। अतः निवेदन है कि मुताबिक निर्णय एवं डिक्री बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा उनवानी श्रवण सिंह बनाम उदय सिंह वगैरह दिनांक 25.05.2016 के अनुसार प्रार्थी को प्राप्त भूमि खसरा नंबर 1844/4 रकबा 0.6490 हैक्टेयर वाके ग्राम मैड कि पत्थरगढ़ी की जाकर स्थायी सीमा चिन्ह स्थापित किया जावें, दौराने पत्थरगढी पुलिस जाप्ता उपलब्ध करवाने के आज्ञा प्रदान करें।

2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। अप्रार्थीगण की तल्बी की गई। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 सम्यक् तामिल अनुपस्थित रहे, इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। पैरोकार सरकार उपस्थित।
3. प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी ग्राम मैड़ संवत् 2070–2073, नक्शा ट्रेस ग्राम मैड़, नकल निर्णय दिनांक 25.05.2016 मुकदमा नंबर 397/2002 उनवान श्रवण सिंह बनाम उदय सिंह वगैरह आदि पेश किये।
4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।
5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वाके ग्राम मैड़ के खसरा नम्बर 1844/4 रकबा 0.6490 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.6490 हैक्टेयर तथा खसरा नंबर 1845 रकबा 0.02, 1846 रकबा 0.05 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.07 हैक्टेयर में हिस्सा 2/5 एवं खसरा नंबर 1844/1 रकबा 0.0376 हैक्टेयर किता 1 कुल रकबा 0.0376 हैक्टेयर में हिस्सा 2/5 प्रार्थी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी अब अपनी भूमि को सुरक्षित करवाने की गरज से पत्थरगढी करवाना चाहते है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क रहा कि मौके पर अन्य खातेदार प्रार्थी की आराजी की सीमा–डोल तोडते हैं, जबकि अन्य किसी का, प्रार्थी की आराजी से कोई संबंध नहीं है। यह है

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कि प्रार्थी ने न्यायालय श्रीमान के दिनांक 25.05.2016 उनवान दावा श्रवण सिंह बनाम उदय सिंह वगै दावा बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय अनुसार बढा नंबर बनाया जाकर कानूनी बंटवारा करवा लिया है। खातेदार को अपनी आराजी की सुरक्षा की दृष्टि से सीमाओं की जानकारी होना आवश्यक है। अतः प्रार्थी एवं अन्य खातेदारों के मध्य भविष्य में होने वाले विवाद को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि प्रार्थी की आराजी की पत्थरगढी की जाकर स्थायी सीमाचिन्ह स्थापित किये जावें।

6. प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थी की वर्णित भूमि वाके ग्राम मैड़ के खसरा नंबर 1844/4 रकबा 0.6490 हैक्टेयर की पत्थरगढी कर, स्थायी सीमांकन चिन्ह स्थापित करावे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। निर्णय की पालना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज 10.09.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर